पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 342/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 05.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

थाना तरवा: मोबाइल टॉवर से अजना उपकरण व अन्य सामान चोरी करने वाले 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार; 01 अजना उपकरण, 03 जम्फर, केवल व 01 एसएफपी (कीमत लगभग 03 लाख रूपयें बरामद ।; पूर्व में 13 अभियुक्त 10 अजना उपकरण (कीमत लगभग 12 लाख रूपयें) , 03 कार, मोबाइल व नकदी के साथ हो चुके है गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

अगवत कराना है कि इण्डस कम्पनी का एक टावर ग्राम बेलहाडीह से एयर टेल का अजना - 02 पीस सिरियल नम्बर K920382xxx , K 9203816xxx, व SFF 10 G -02 पीस, CPRICABLE -02 पीस व RET CABLE 02 पीस , व जम्पर केवल 08 पीस 07 मि0 को अज्ञात व्यक्तियो द्वारा दिनांक- 13.06.2024 लगभग 2.00 AM चोरी कर ले गये है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.06.24 को वादी मुकदमा राकेश S/O रामा यादव ग्रा0पो0 अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा था।

➡ दिनांक-26.07.2024 को थाना गम्भीरपुर व स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा **मोबाइल टॉवर से अजना उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय 13 चोरो का गिरोह गिरफ्तार किया गया तथा 10 अजना उपकरण (कीमत लगभग 12 लाख रूपयें) , 03 कार, मोबाइल व नकदी बरामद किया गया था।**

➡इस गिरोह के द्वारा आजमगढ़ जिले में **कुल 17 स्थानों पर कुल 08 थाना क्षेत्रों (थाना बरदह, निजामाबाद, तहबरपुर, मेंहनगर, सरायमीर, कंधरापुर, देवगांव व फूलपुर) में मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी किया गया था।**

➡विवेचना व अन्य संकलित साक्ष्यो के आधार दो नफर अभियुक्त 1. प्रशान्त पाठक उर्फ गोलू पुत्र रामअवतार पाठक 2. रणविजय पाठक उर्फ ओम पुत्र विवेकानन्द निवासीगण ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 05.11.2024 को उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. प्रशान्त पाठक उर्फ गोलू पुत्र राम अवतार पाठक, 2.रणविजय पाठक उर्फ ओम पुत्र विवेकानन्द निवासीगण ग्रा0 हरई रामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को 01 अजना, 03 जम्फर, केवल व 01 SFP को समय करीब 10.30 बजे ग्राम बेलहाडीह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक-11.06.2024 की रात्रि में मैं व मेरे साथी रणविजय पाठक उर्फ ओम पाठक ने बेल्हाडीह टावर से 2 अजना व एस.एफ.पी व जम्फर केबल चुराया था ,एक अजना व जम्फर केबल हम दोनो ने मिलकर किसी अन्जान व्यक्ति को बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उसको आधा-आधा बाटकर खर्ज कर लिये एक अजना व 3 केबल व एक एस.एफ.पी हम लोगो ने बेल्हाडीह टावर से लगभग 500 मीटर दूर एक बगीचे में छिपाकर रखा था।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379 IPC बढोत्तरी धारा 411, 413 भादवि थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रशान्त पाठक उर्फ गोलू पुत्र राम अवतार पाठक, निवासीगण ग्रा0 हरई रामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2.रणविजय पाठक उर्फ ओम पुत्र विवेकानन्द निवासीगण ग्रा0 हरई रामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1 अजना, 03 जम्फर, केवल व 01 SFP (कीमत लभग 03 लाख रूपयें)

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-187/2024 धारा-303(2),317(2) बीएनएस थाना कन्धरापुर
2 . मु0अ0सं0-285/2024 धारा-111, 317(2), 317(4),317(5) बीएनएस थाना गंभीरपुर
3. मु0अ0सं0-151/2024 धारा-303(2),317(2) बीएनएस
4. मु0अ0सं0-175/2024 धारा-379,411 भादवि
5. मु0अ0सं0-215/2024 धारा-380,411 भादवि थाना देवगाँव
6. मु0अ0सं0-215/2024 धारा-380,411 भादवि थाना देवगाँव
7. मु0अ0सं0-333/2024 धारा-303(2),317(2) बीएनएस थाना निजामबाद
8. मु0अ0सं0-357/2024 धारा-380,411 भादवि थाना फूलपुर
9. मु0अ0सं0-177/2024 धारा-380,411 भादवि थाना बरदह
10. मु0अ0सं0-196/2024 धारा-379,411 भादवि थाना बरदह
11. मु0अ0सं0-242/2024 धारा-303(2),317(2) बीएनएस भादवि थाना बरदह
12. मु0अ0सं0-272/2024 धारा-303(2),317(2) बीएनएस भादवि थाना मेहनगर
13. मु0अ0सं0-208/2024 धारा- 34,379,411 भादवि थाना सरयामीर ।
14. मु0अ0सं0-402/2024 धारा- 3(5),303(2),317(2) बीएनएस थाना सरयामीर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02.थाना- जीयनपुरः चोरी के अभियोग में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत करना है कि दिनांक 05.11.2024 को वादी मुकदमा रामविनय राजभर पुत्र मुन्नर राजभर निवासी भुवना वुजुर्ग थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 05.11.2024 सुबह में करीब 5 बजे वादी के पिता अपनी किराना की दुकान खोलकर साफ सफाई कर रहे थे उसी समय वादी के पड़ोस का रहने वाला एक बाल अपचारी द्वारा दुकान में रखे वक्से 16970 चुरा कर भाग गया इसके बाद हम लोग उसे वुलाकर अपना रूपये मागने लगे नही दिया तब मैने 112 नम्बर पर फोन करके पुलिस को वुलाया मौके पर PRV 6208 के कर्मचारी का0 मोहित यादव आये व अजीत उपरोक्त को डाट कर पुछे तो चोरी किया हुआ पुरा पैसा(16970)रू0वापस कर दिया मै ,अजीत राजभर व PRV के साथ थाने पर आया हु के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 496/24 धारा 305/117(2) BNS बनाम बाल अपचारी के पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0धनन्जय सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।विवेचना के क्रम मे।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 05.11.2024 को उ0नि0 धनन्जय सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को चोरी गये 16970 रूपये के साथ समय 12.05 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

03.थाना सरायमीरः वांछित एक अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.2024 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की बहन उम्र लगभग 17 वर्ष आज ही समय करीब 4.35 बजे भोर में घर से प्रतिदिन की तरह टहलने के लिये बाहर रोड पर गयी थी। काफी समय हो जाने पर भी वह घर नहीं आयी तब हम लोग खोजना शुरु किये परन्तु वह नहीं मिली। घर के मोबाईल नम्बर पर उसने 8527xxxxxxxx से फोन करके बताई की हम आजमगढ है फिर थोडी देर में बाद ही उसने फोन किया कि हम इलाहाबाद कोचिंग सेन्टर पर हैं, के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 555/24 धारा 137(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 64/142/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान जयसिंह यादव पुत्र शिवमूरत यादव ग्राम चकबारी चकिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। जिसके क्रम में-

दिनांक- 02.11.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जयसिंह यादव पुत्र शिवमूरत यादव ग्राम चकबारी चकिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ को खपड़ागाँव चौराहे के पास से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 05.11.2024 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मीना पत्नी सीटू कुमार निवासी मुहल्ला कुण्डीगढ बदरका थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को पुना पोखर रेलवे क्रासिंग के से समय करीब 10.05 बजे कादन पट्टी से हिरासत पुलिस में लिया गया।

04.थाना सरायमीर: गैगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा गैंग लीडर राकेश पुत्र योगेन्द्र प्रसाद उर्फ जोगिन्दर हलुवाई सा0 पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ने अपने सह अभियुक्त/ सदस्य 1. आनन्द मौर्या पुत्र अशोक मौर्या सा0 ठठेरी बाजार कस्बा थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर मोटर साईकिल चोरी का संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर आर्थिक भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित कर रहा हैं, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं। गिरोह कायम कर आर्थिक भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित कर रहा हैं जो एक संगीन अपराध है। अभियुक्तगण उपरोक्त के अपराध पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 576/24 धारा 2(ख) XVII / 3(1) गैगेस्टर एकट में अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनाँक 05.11.2024 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से से सम्बन्धित गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त आनन्द मौर्या पुत्र अशोक मौर्या सा0 ठठेरी बाजार कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ को एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ करछा बार्डर से पहले रोड के किनारे से समय करीब 07.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया व गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 594/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0 मु0अ0सं धारा थाना जनपद

1. 56/2024 379/411/34 भादवि सरायमीर आजमगढ़
2. 576/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट सरायमीर आजमगढ़
3. 594/24 3/25 आयुध अधिनियम सरायमीर आजमगढ़

05.थाना- कप्तानगंजः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 04.11.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 03.11.2024 को समय करीब- 12.00 बजे दिन में अभियुक्त दयाराम निषाद पुत्र मानीक राम निषाद निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी की नाबालिग पुत्री को शादी करने के लिए बहला फुसला कर भगा लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- मु.अ.स. 357/2024 धारा 87,137(2) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मुकदमा उपोरक्त में धारा 69, 127(2) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 काशी नाथ यादव द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त दयाराम निषाद पुत्र मानीक राम निषाद निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 04.11.2024 को उ0 नि0 काशीनाथ यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. दयाराम निषाद पुत्र मानीक राम निषाद निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 25 वर्ष के को ग्राम मेहमौनी के पास से समय 16.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

06.थाना अतरौलिया: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया के लिखित तहरीर पर अभियुक्त1. रवि उर्फ राबिन यादव पुत्र राम पलट यादव निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. गोलू उर्फ सूरज सिंह पुत्र दीन दयाल सिंह सा0 लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3.मो0 शाकिर पुत्र स्व0 अब्दुल अजीज सा0 लोहरा थाना अतरौलिया आजमगढ के विरुद्ध दिनांक 29.09.2024 को मु0अ0सं0 334/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप नि0 अधि0 1986 थाना अतरौलिया में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका गैंगलीडर 1. रवि उर्फ राबिन यादव पुत्र राम पलट यादव निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ है। इस गैंग के चोरी व लूट पाट जैसे जघन्य अपराध अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर 457/380/411 भादवि व मु0अ0स0 47/24 392/411/506 भादवि पंजीकृत पूर्व में पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 05.09.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.रवि उर्फ राबिन यादव पुत्र राम पलट यादव निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष 2. गोलू उर्फ सूरज सिंह पुत्र दीन दयाल सिंह सा0 लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को सिकन्दरपुर मोड़ से कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 11.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

07. थाना- जीयनपुरः नाली के पानी के विवाद को लेकर मारपीट से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु में 01 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 05.11.2024 को वादी मुकदमा रामप्रदीप यादव पुत्र नरसिंह यादव निवासी जमीन हरखोरी लढिया थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 04/11/2024 समय 8.30 बजे रात्रि मेरे पट्टीदार बालजीत यादव पुत्र स्वर्गीय नरेश यादव , मोनु यादव पुत्र बालजीत यादव तथा सुधीर यादव पुत्र बालजीत यादव निवासी जमीन हरखोरी (लढिया) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ मेरे दरवाजे पर आकर मेरे पिता श्री नरसिंह यादव पुत्र स्वर्गीय फागू यादव को नाली के पानी के विवाद को लेकर डण्डा व ईट से मारने लगे जब मै बीच बचाव किया तो मुझे भी मारे पिटे जिससे मुझे भी चोट आ गयी मै अपने पिताजी को ईलाज के लिए शिवा नर्सिंग होम ले गया जहा पर डाक्टर द्वारा मेरे पिताजी को रेफर कर दिया गया उसके बाद मै अपने पिताजी को ईलाज हेतु रमा हास्पिटल आजमगढ़ ले गया जहा पर डाक्टरो द्वारा मेरे पिताजी को मृत घोषित कर दिया गया के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 495/24 धारा 115 (2)/105 BNS बनाम 1.बालजीत यादव पुत्र स्व0 नरेश यादव 2.मोनु यादव पुत्र बालजीत यादव 3.सुधीर यादव पुत्र बालजीत यादव निवासीगण जमीन हरखोरी लढिया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0अजय कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है ।विवेचना के क्रम मे ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 05.11.2024 को उ0नि0 अजय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बालजीत यादव पुत्र स्व0 नरेश यादव निवासी जमीन हरखोरी लढ़िया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 58 वर्ष को रजादेपुर तिराहे के पास से समय 11.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

08.थाना- पवईः अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 26.09.2023 को वादिनी मुकदमा थाना पवई आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में दिनांक- 25.09.23 को वादी की पुत्री उम्र 15 वर्ष को विपक्षी राजन राजभर s/o राजेश राजभर ग्राम कोहड़ा थाना पवई आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया, के संबंध में मु0अ0स0 297/2023 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था । दौराने विवेचना धारा 506 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण----

आज दिनांक 05.11.2024 को व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजन राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ग्राम कोहड़ा थाना पवई आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को महुआ पुलिया के पास से समय 07.35 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

09.थाना – अतरौलिया: साइबर फ्राड के 8000/- रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.10.2024 को आवेदक सन्त दयाल गुप्ता पुत्र श्यामकरन गुप्ता निवासी गोलाबाजार कस्बा व थाना अतरौलिया आजमगढ़ के द्वारा meesho कंपनी के हेल्पलाइन नं गूगल पर सर्च करके बात करने पर फ्राड करते हुये कुल 42,861 /- रुपये की ठगी कर ली गई है। जिसकी शिकायत पर थाना स्थानीय पर क0आ0 आशीष कुमार द्वारा साईबर शिकायत संख्या 33110240xxxxxxx पंजीकृत किया गया उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते से कटे 8000/- रूपये वापस करा दिया गया। शेष धनराशि को वापस कराने हेतु विधिक प्रक्रिया जारी है।

➡ आवेदक 33110240131696 के प्रा0पत्र/ साईबर कम्पलेन के जांच के क्रम में थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार द्वारा आवेदक सन्तदयाल गुप्ता उपरोक्त के खाते में 8000/- रूपये को वापस कराया गया।

10. थाना जहानागंज: वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 21.09.24 को थाना जहानागंज के वादिनी नें थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक वादिनी की पुत्री जिसकी उम्र 16 वर्ष है जिसे अभियुक्त सोम्मर वनवासी पुत्र अज्ञात निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा अनुदान फार्म भरवाने के नाम पर मसुवाँ के जंगल में ले जाकर कपड़ा उतरवाकर गलत तरीके से व्यवहार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 508/2424 धारा 76 BNS व 7/8 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 ओमप्रकाश यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 05.11.24 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोम्मर बनवासी पुत्र स्व0 लालमन निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष को लंगड़ा बाबा स्थान सेमा स्थान के पास से समय करीब 10.40 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5”

दिनांकः-05.11.2024

मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-05) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को किया जागरुक।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के दृष्टिगतः-

आज दिनांक 05.11.2024 को जनपद आजमगढ़ के समस्त थानो में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पॉक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गयी व महिला हिंसा से संबंधित अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वीमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। मिशन-शक्ति-अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा पुलिस की पाठशाला/चौपाल लगाकर जागरूकता के क्रम में महिलाओं/छात्राओं को जागरुक किया गया।